(13)

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–04/2018–19

प्रथम पक्ष:– सुकरू उरांव एवं अन्य (कुल–07) ग्राम–राहम, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्ष:– खदिया उरांव, ग्राम–राहम, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा।

2 3

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया आवेदकगण सुकरू उरांव वो रामु उरांव एवं अन्य बनाम खदिया उरांव, सभी ग्राम–राहम, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा के विद्वान अधिवक्ता के अभ्यावेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। यह वाद अंचल अधिकारी, टण्डवा के विविध वाद संख्या–08/2017–18 में पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने लाया है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	रकबा	कुल रकबा
राहम	409	2656, 2675, 2691, 2729, 2750, 2771, 2941, 2942, 2947	0.42 ए0, 0.18 ए0, 1.23 ए0, 0.24 ए0, 3.00 ए0, 0.98 ए0, 1.47 ए0, 0.93 ए0, 3.88 ए0	12.33 एकड
राहम	409	2662	0.45 ए0	0.45 एकड़

अपीलार्थी ने प्रश्नगत भू–खण्ड के बारे में लिखित कथन के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि खाता नं0–409 के खतियानी रैयत रति मोदी थे, जिनके नाम से 49.43 एकड़ भूमि का डीमाण्ड चल रहा था। रति मोदी के दो पुत्र हुए। 1. पचु उरांव, 2. सनी उरांव। पचु उरांव की पत्नी लखिया देवी थी तथा चैता उरांव एवं एतवा उरांव इनके पुत्र थे। सनी उरांव की पत्नी तेतरी देवी थी, जिनके पुत्र का नाम झरी उरांव तथा सोमरा उरांव था। पचु उरांव तथा सनी उरांव की पत्नी और पुत्रों को जब रूपये की आवश्यकता पड़ी तो इनलोगों ने खाता नं0–409 के प्लॉट नं0–2656, 2675, 2691, 2729, 2750, 2771,2941, 2942, 2947 का कुल रकबा–12.34 एकड़ भूखण्ड कैला उरांव, पे0–मुण्डा उरांव को केवाला संख्या–3001, दिनांक–21.07.1941 से बिक्री कर दिया। निबंधित दस्तावेज से भूमि प्राप्त करने के बाद ये दखल–कब्जा में आये और इस भूमि का दाखिल–खारिज कराकर सरकार को लगान देने लगे और इनके नाम से जमाबन्दी भी कायम हुआ।

cc issued

P-65/2023-24

P-97/23-24

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी ने इस वाद की प्रक्रिया में आगे कहा है कि बिरसा उरांव और कैला उरांव, करमा उरांव तथा मतलु उरांव भाई थे तथा संयुक्त रूप से संपति का देखभाल करते थे। खरीदगी भूमि के पश्चात् भी सभी भूमि का देखभाल संयुक्त रूप से होने लगा तथा अभी भी इनके वारिशानों के बीच यह भूमि दखल–कब्जा में है। इन्होंने आगे कहा है कि जब रति मोदी के पुत्र पचु उरांव तथा लखिया देवी एवं उनके दामाद को रूपये की आवश्यकता पड़ी तो पुनः खाता नं0–409 के प्लॉट नं0–2662 अन्तर्गत 0.45 एकड़ अकल मोदी, पे0–टुनवा मोदी के पास 24.07.1952 को बिक्री किया। यह बिक्री उपायुक्त की अनुमति से अनुमति वाद संख्या–40/52–53 द्वारा किया गया तथा निबंधित दस्तावेज से किया गया। इसका भी पंजी–2 में जमाबन्दी कायम हुआ, जिसपर उनके वारशिानों का अभी भी दखल–कब्जा है।

अपीलार्थी का आगे कथन है कि अंचल अधिकारी, टण्डवा ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलार्थीगणों के पूर्वज के नाम से लम्बी अवधि से चल रही जमाबन्दी को नियमों को ताक पर रखकर रद्द कर दिया तथा विविध वाद संख्या–08/2017–18 के द्वारा आदेश पारित कर कुल–49.43 एकड़ भूमि का जमाबन्दी कायम करने तथा रसीद निर्गत करने का आदेश राजस्व कर्मचारी को दे दिया। यह आदेश बिल्कुल हीं गलत है। अंचल अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। अतः अपीलार्थी ने इसे रद्द करने तथा पूर्व की जमाबन्दी को यथावत रखने का आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है। इन्होंने अपने दावे के समर्थन में निबंधित केवाला की छायाप्रति तथा कई लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न किया है।

दूसरी ओर द्वितीय पक्ष ने इस वाद की प्रक्रिया में लिखित कथन दाखिल कर इस न्यायालय को यह बताया है कि प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत रति मोदी थे, जिनका एक मात्र पुत्र झरी मोदी हुए। झरी मोदी की पत्नी गुंजरी देवी तथा पुत्र खदिया उरांव हुए। पिता की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण भूमि पर वहीं काबिज हुए। अपीलार्थी के दावे को इन्होंने गलत कहा है तथा यह भी कहा है कि सर्वे रैयत के वैध वारिशानों से भूमि बिक्री नहीं हुआ है। विपक्षीगण का हीं दखल–कब्जा प्रश्नगत भूमि पर रहा है। अंचल अधिकारी ने अंचल अमीन से भूमि का मापी कराकर दखल–कब्जा के आधार पर आदेश पारित किया है। अंचल कार्यालय के लिपिकीय भूलवश पूर्व में 21.49 एकड़ भूमि का लगान रसीद निर्गत हो रहा था, जिसे बाद में अंचल अधिकारी ने जांच–पड़ताल कर आदेश पारित किया तथा 49.43 एकड़ भूमि का लगान रसीद खतियानी रकबा के आधार पर जमाबन्दी कायम कर निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी का आदेश इन्होंने सही कहा है तथा साक्ष्य के रूप में अंचल अमीन का प्रतिवेदन तथा वंशावली प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है।

Scanned with OKEN Scanner

इस वाद की प्रक्रिया में इंटरवेनर के रूप में लाले उरांव तथा बाले उरांव ने भी अपना लिखित कथन दिया। इन्होंने अंचल अधिकारी, टण्डवा के स्तर से निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र संख्या–64, दिनांक–28.02.2020 के आधार पर खतियानी रैयत के वंशवृक्ष में आने का दावा करते हुए यह कहा है कि खतियानी रैयत के वैध वारिशानों ने अपीलार्थी के पूर्वज को जमीन बिक्री किया है तथा उक्त के आधार पर उनकी जमाबन्दी चल रही थी। इनका यह भी कथन है कि इनके अंश की भूमि को भी इन्हें दरकिनार करके खदिया उरांव के नाम से सम्पूर्ण भूमि का जमाबन्दी कायम कर दिया गया है, जो गलत है। अंचल अधिकारी का आदेश का इन्होंने भी रद्द करने हेतु आग्रह किया है। साक्ष्य के रूप में इनके द्वारा भी अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत वंशावली संलग्न किया गया है।

इस वाद की प्रक्रिया में अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा पारित किए गये आदेश का भी अवलोकन किया। अंचल अधिकारी के आदेश का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने पंजी–2 तथा खतियान के आधार पर भूमि का प्रतिवेदन अंचल अधिकारी को दिया था तथा सुनवाई कर नियमसंगत कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया था। अंचल अधिकारी ने अंचल अमीन से मापी प्रतिवेदन प्राप्त किया तथा उसी मापी प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित कर दिया तथा पूर्व की सभी जमाबन्दी को रद्द कर दिया और एक साथ सम्पूर्ण 49.43 एकड़ भूमि का जमाबन्दी खदिया उरांव के नाम से कायम करने तथा लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित कर दिया।

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में अपीलार्थीगण का लिखित कथन तथा उनके द्वारा दाखिल राजस्व कागजात तथा द्वितीय पक्ष के लिखित कथन एवं उनके द्वारा दाखिल किये गए राजस्व कागजात, अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज के नाम से मौजा–राहम के खाता नं0–409, प्लॉट नं0–2656, 2675, 2691, 2729, 2750, 2771, 2941, 2942, 2947 में कुल रकबा–12.34 एकड़ तथा खाता नं0–409, प्लॉट नं0–2662, रकबा–0.45 एकड़ भू–खण्ड की जमाबन्दी जो अंचल कार्यालय, टण्डवा के पंजी–2 में चल रहा था, उसे अंचल अधिकारी, टण्डवा ने दिनांक–28.12.2017 को आदेश पारित कर रद्द कर दिया तथा उन्होंने यह मान लिया कि यह खतियानी भूमि रति मोदी के नाम से है तथा खदिया उरांव उनके वशंज है और अपीलार्थीगण की जमाबन्दी गलत है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

1. क्या अंचल अधिकारी ने यह नहीं देखा कि अपीलार्थीगण की जमाबन्दी निबंधित केवाला के आधार पर चल रहा है तथा केवाला की वैधता पर निर्णय करने के लिए वह सक्षम है ?

Scanned with OKEN Scanner

2. क्या अंचल अधिकारी ने यह भी नहीं देखा कि लम्बी अवधि की जमाबन्दी रद्द करने के लिए वह सक्षम पदाधिकारी हैं ?
3. क्या अंचल अधिकारी ने यह भी नहीं देखा कि पूर्व का केवाला सन्–1941 ई0 का है तथा सन्–1952 ई0 में जो केवाला निष्पादित किया गया वह उपायुक्त की अनुमति से हुआ, जिसका अनुमति वाद संख्या–40/52–53 था ?
4. अंचल अधिकारी, टण्डवा से निर्गत वंशावली प्रमाण–पत्र संख्या–64, दिनांक–28.02.2020 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि तत्कालीन अंचल अधिकारी ने सही–सही वंशावली के आधार पर जाँच–पड़ताल कर निर्णय पारित नहीं किया है, जो उनके पक्षपातपूर्ण रवैया को दर्शाता है।

अतः निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि दिनांक–28.12.2017 को अंचल अधिकारी, टण्डवा के स्तर पर पारित किया गया आदेश दोषपूर्ण है। अंचल अधिकारी ने अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया है, जो निरस्त करने योग्य है। वर्णित स्थिति में अपीलकर्त्ता के अपीलीय आवेदन को **स्वीकृत** करते हुए अंचल अधिकारी, टण्डवा के स्तर से दिनांक–**28.12.2017** को पारित किए गए आदेश को **निरस्त** किया जाता है। अंचल अधिकारी, टण्डवा को यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्त्ता की जमाबन्दी को पूर्व की भांति **यथावत** रखेंगें तथा जब तक किसी सक्षम न्यायालय से उक्त जमाबन्दी के विरूद्ध कोई अन्यथा आदेश पारित नहीं होता है, तब तक पूर्व की भांति कायम जमाबन्दी के आधार पर हीं **मालगुजारी** वसूल करेंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

24/7/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

24/7/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

C/ Issued.

P-97/23-24.

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.20 13:11:07 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner